एक दुखान्त विवरण

राजस्थान सरकार

और

राजस्थान भूदान बोर्ड

के मध्य

विवाद ग्रस्त

छत्तरगढ़-भूदान



www.vinoba.in

प्रस्तुतकर्ता :
राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड
किशोर निवास त्रिपोलिया
जयपुर-302002 (राज.)

: अनुक्रमणिका :

1. छत्तरगढ भूदान का दुखान्त विवरण — श्री यज्ञदत्त उपाध्याय, अध्यक्ष, राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड — 1-6

2. " " " " " " " (अंग्रेजी में) 7-14

3. छत्तरगढ भूदान:-

- संक्षिप्त पृष्ठ भूमि व परिचय ... 15-16
- भूदान कानून के कुछ सुसंगत प्रावधान ... 16
- प्रारम्भिक आकंटन 16-17
- छत्तरगढ भूदान कानून सम्मत, पर सरकार के विचाराधीन ... 17-19
- इमरजेन्सी काल के आदेश ... 19
- बाबा से पुकार 19
- जनता पार्टी शासन: समझौते की प्रक्रिया ... 20
- शासन में परिवर्तन काल ... 20-21
- नई सरकार - नये आक्षेप ... 21
- सरकार का अभिप्राय उद्घाटित ... 21-22
- बोर्ड का उत्तर: प्रतिवादित ... 22-23
- महाजन फील्ड फायरिंग रेन्ज "भूमिदान" विस्थापितों को भूदान भूमि (राज्य का इमरजेन्सी आदेश) 23-24
- आदेश से स्तब्ध व क्षुब्ध ... 24-25
- मुख्यमन्त्री, राजस्थान को अपील, विवश होकर, न्यायालय शरणागत् ... 25

क्रमश: 2/

www.vinoba.in

4. भूदान बोर्ड पर राजस्थान सरकार के आक्षेप क्यों ? 25

- फील्ड कार्यरंग रेन्ज में भूमिहीन विस्थापितों को बोर्ड द्वारा भूमि देने का आफर बनाम भूमिवान विस्थापितों को भूदान भूमि देने का सरकार का आग्रह 27-31

- बोर्ड द्वारा आवंटन में भ्रष्आचार ? ... 32-34

- छत्तरगढ भूदान आवंटन की धीमी गति ? ... 35-38

5. परिशिष्ट :

§1§ भूदान अधिनियम में पारित संशोधन ... 39-40

§2§ छत्तरगढ भूदान का प्राप्ति आवंटन लेखा ... 41

§3§ छत्तरगढ भूदान के आवंटितियों का वर्गीकरण ... 41

§4§ छत्तरगढ भूदान का प्रयोजनवार वर्गीकरण ... 41

§5§ राज्य सरकार द्वारा भूदान भूमि की बिक्री ... 42

0000

"निर्दोष"

5-1-88

www.vinoba.in

छत्तीसगढ़-भूदान का दुखान्त विवरण

देश के सबसे बड़े भूदान का यह दुखान्त ब्यौरा है। इस भूदान का डेढ़ लाख बीघा (८८७५० एकड़) का एक ही चक में होना और रेत से अटी-पटी इस भूमि के देखते ही देखते नहरी होने के प्रोसपेक्टस ने इसको सबही के नजरों में ला दिया है। कौड़ियों की यह भूमि अब करोड़ों की हो गई है। फलस्वरूप सरकार कहने लगी है कि यह भूदान ही अवैधानिक हुआ है। इस पर बाबा (आचार्य विनोबा भावे) ने इस मसले को लेकर उनके पास पहुंचे राजस्व राज्य मन्त्री को सुस्मित कहा था ' राजस्थानी कारस्थानी '। वस्तुतः इसमें राज्य-सरकार की साँप-छछुंदर की सी गति हो गई है। न तो इसको लिये बनता, और न ही इसको छोड़ते। यह (भूदान) बाबा के नाम से जुड़ा है, इसलिये सरकार लिपिलिस्टिक होना नहीं चाहेगी ' ऐसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा।

इस असमंजस में १९६० से १९८२ तक यह मामला विचाराधीन बना पड़ा रहा। उधर इस भूमि के भूदान कानून के अधीन भूदान बोर्ड में विधिवत् वेस्ट किये जाने के बावजूद भी, इसके आवंटन पर लगाई गई पाबन्दियों ने, इसको सरकार का बन्दी बनाकर पटक रखा है। गरीब भूमिहीन के लिये भी उन पाबन्दियों के साथ इस भूमि पर बैठने में दुविधा है। इधर सरकार को अब दूसरा बहाना ऐसा कहने का मिला है कि ' भूदान बोर्ड भूमि बाँटने में एकदम अक्षम साबित हुआ है '। जबकि बोर्ड यह कह रहा है कि ' सरकार पाबन्दियां हटाले तो आवंटन निश्चित अवधि में किया जा सकता है ' पर सरकार को तो गाली देकर गोली मारना था। उसने सारी अनावंटित

क्रमशः.... २

www.vinoba.in

भूमि हस्तगत करने का आदेश ही कर दिया (सन् १९८२) । पर इसमें भूदान कानून की जिस धारा का उसने सहारा लिया वह सरकार को यथेष्ट सहायक नहीं हो पाई । इसलिये जब भूदान बोर्ड ने आपत्ति की तो उस समय तो हाथ खींच लिया लेकिन चार वर्ष तक चुप रहने के बाद इस वर्ष फिर भूमि हस्तगत करने की कार्रवाई प्रारम्भ करदी ।

छत्तसगढ के भूदान क्षेत्र से लगते ही महाजन फील्ड फायरिंग रेन्ज के गावों के विस्थापितों को भूमि दिये जाने का अच्छा अवसर इस बार सरकार के हाथ लगा (ताकि देश की सुरक्षा के नाम पर कोई चीं-चपड भी न कर सके) । हम स्तब्ध रह गये । खासकर इसलिये कि उक्त विस्थापितों में से कमजोर वर्ग और गरीब भूमिहीनों को तो बोर्ड स्वयं ने, बिना मूल्य भूदान भूमि देने का ऑफर दिया ही था । बोर्ड के उस ऑफर को स्वयं सरकार ने ठुकरा दिया और अब बोर्ड पर यह आक्षेप लगा रही है कि बोर्ड ने विस्थापितों को भूमि देने से इन्कार कर दिया। पर जैसा कि ऊपर कहा गया है कि सरकार को तो गाली मारने को गाली देनी थी, सरकार ने आव देखा न ताव और जिस लक्ष्मण रेखा पर वह २५ वर्ष तक किंकर्तव्य विमूढ सी खडी रही उसको लाँघ गई । और जब तक बोर्ड ने उच्च न्यायालय में पुकार कर इसको रुकवाया - तब तक छत्तसगढ की ११ हजार बीघा भूदान-भूमि, भूमिवान विस्थापितों को सरकार ने बिक्री भी कर डाली ।

www.vinoba.in

क्रमश: ... ३

१९७५ में जब सरकार ने 'इमरजेन्सी' में प्रथम बार इस भूमि को हस्तगत करने का आदेश दिया था - तब बाजा ने अपने हस्ताक्षर से राजस्थान सरकार के व्यवहार को अनैतिक बताया था । उपरोक्त कदम उठाने पर हम समझ गये कि सरकार ऐसा कोई भेद, नैतिक-अनैतिक के बीच नहीं करती है । सरकार में तो पूजा-गीला सब जलता है । वस्तुतः इस दान के विधिसम्मत होने न होने का फैसला तो कोई निष्पक्ष या न्यायाधिकरण द्वारा ही कराया जाना था, लेकिन इसके बजाय सरकार ने दूसरा ही मार्ग अपनाया । अनगिनत, सुनी-सुनाई, अपुष्ट भू-आवंटन सम्बन्धी शिकायतों का ढोल बजाकर भूदान कानून में ऐसा संशोधन कर डाला ताकि कोर्ट का फैसला सरकार के अनुकूल न हो तो भी इस भूमि को हस्तगत कर सके । जबकि बोर्ड का कहना है कि भूदान आवंटन का सारा काम - और खासकर कुम्भराढ का, जो कुछ भी कमोवेशी, बावजूद उस पर लगी पाबन्दियों के, हुआ है - वह पूर्ण निर्दोष और भूदान योजना के अनुरूप हुआ है । गोली मारने के लिये ही सरकार ने यह गाली दी है तो यह अलग बात ।

ऊपर इस मामले में सरकार के भारी असमंजस में पड़े रहने की बात कही गई है । यह सही बात है । पर अब जिस तरह असमंजस से मुक्त होने की सरकार चेष्टा कर रही है वह शासन में बैठे लोगों के बाबा के प्रति आदर भाव और उनके भूदान-ग्रामदान के प्रति सद्भाव से मेल नहीं खाती ।

क्रमशः ४

www.vinoba.in

जिन लोगों ने निष्ठापूर्वक भूदान जैसे कामों के लिये अपना जीवन समर्पित किया है उनके साथ साहचर्य भाव से समस्याओं पर बात करके अपनी सद्भावी बुद्धि पर चलने के बजाय, हमारे मित्र, भूदान-ग्रामदान जैसी योजना को अपने 'अधिकारों' पर अतिक्रमण मान बैठे प्रशासनिक अधिकारियों की बेबुनियाद, अनर्गल बातों पर ही वे कान देते और फैसला लेते है। यह दुर्भाग्य की बात है।

यह निर्विवाद है कि इस सारे विवाद की जड़ में तो पैसा ही है। कौडियों की भूमि करोडों की बनाने में सरकार का बहुत घन लगा है - और लग ही रहा है। और इसीलिये सरकार इस भूमि की भी कीमत लेना चाहती है। जिना लाग-लपेट वो यह लिख भी चुकी है कि आवंटितियों से सरकारी आवंटन के नियमों के अनुसार भूमि का मूल्य बोर्ड वसूल करे और सरकार में जमा कराये। बोर्ड का बाअदब यह कहना रहा है कि यह भूमि दान में मिली है और गरीब भूमिहीनों के लिये विनोबा की झोली में डाली गई है। इसलिए इसकी कीमत ली गई तो गरीब इसको कैसे ले पायेंगे ? सरकार यह क्यों नहीं सोचती है कि गरीबों को दो जून की रोटी का आधार देने की जिम्मेदारी भी तो सरकार की ही है। यदि इस भूमि को पैसे वाले ही प्राप्त करेंगे, तो बेचारे गरीब उनके हाली-मजदूर ही बने रहेंगे। यह दुष्चक्र कभी समाप्त नहीं होगा। फिर सरकार के पास तो अन्यत्र भी बहुत भूमि है जिसे वह कीमतन दे ही रही है। भूदान में प्राप्त हुआ यह

क्रमशः.... ५

www.vinoba.in

छोटा सा टुकडा यदि गरीबों के लिये ही रह जाये, तो कैसी कल्याणकारी बात हो । यही इसका नैतिक पहलू है ।

भूदान जैसे कार्य से जुडे हम लोगों पर यह भारी दायित्व है कि यह भूमि ऐसे ही भूमिहीन गरीब लोगों को दी जाये कि जो वाकई इसके पात्र हों । हम अपने इस दायित्व के प्रति सदा सजग रहे हैं । अपनी कोशिश में कुछ भी उठा नहीं रखा है । लेशमात्र भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद लाग-लिहाज प्रवेश न पा सके, यह हमारी कोशिश रही है । फिर भी हजारों कुपात्रों में से कुछ सत्पात्रों को छाँटना बडी टेढी खीर साबित हुई है । यह भी एक संगीन कारण है कि इस आवंटन की गति सरकारी आवंटन की सी नहीं हो सकी और न ही हो भी सकती है । इसकी दुरूहता को देखते हुए हम भी यह सोचने को विवश हुये हैं कि यदि यह दान ही न्यायालय द्वारा अवैधानिक मान लिया जाता है, तो बोर्ड को इससे अलग हो जाने में रंच मात्र दाभ न होगा । आखिर जिस दायित्व को धर्मपूर्वक निबाहने में हमें इतनी भारी कठिनाई हो रही हो उसको यह कह कर राहत की साँस लेंगे कि ' सीधे ही चूडा फूट गया - खाली हो गया हाथ ' । भूदान की यह भूमि सत्पात्र को ही मिले इसको हम खूबी समझते है । और इस दशा में कि न्यायालय इस पर बोर्ड के टाइटल को सम्पुष्ट करता है तो सत्पात्रों को बाँटने की प्रक्रिया और भी अधिक कडी की जायेगी और बोर्ड स्वयं चलाकर ऐसे आवंटन निरस्त करेगा कि जिससे किसी

क्रमशः..... ६

www.vinoba.in

भी स्टेज पर भूदान योजना का उल्लंघन हुआ पाया जायेगा ।

आखिर हमको इस गाथा को इस प्रकार प्रकाश में लाने की जरूरत क्यों हुई ? हम तो भूदानी है - यह हमारी आन-बान से सुसंगत नहीं है । हमारा काम तो स्वयं ही बोलना चाहिये । उसकी विशेष तौर से सफाई देने की बात पैदा ही क्यों हुई ? हाल ही में राजस्थान विधानसभा के प्रांगण से राजस्थान भूदान संशोधन विधेयक पर बोलते हुये हमारी राजस्व मंत्री बहन ने कुछ गढ़ भूदान के प्रश्न से भूदान बोर्ड के काम पर आक्षेप किये थे । समाचार पत्रों में भी वह छपा है । लोगों ने उसको पढ़ा और अपना आश्चर्य, दुख और क्षोभ हम पर तीव्रतापूर्वक प्रकट किया ॥ भूदान, भूदान बोर्ड और इसके समर्पित सेवकों की लोक में हो रही अकारण अपकीर्ति को हम चुपचाप न सहें । अतः यह दुखान्त गाथा हम सविनय प्रस्तुत कर रहे हैं ।

ENGLISH VERSION FOLLOWS:-

www.vinoba.in

THE TRAGIC ACCOUNT OF CHATTARGARH BHOODAN

This is the tragic account of the Country's largest Bhoodan land. The fact of this land measuring 88750 acres in one single continous 'CHUK' and the prospects of the sandy dunes converting into irrigated land, attracted people far and wide. The land which was worth nothing would now fetch crores of rupees. No wonder, therefore, if the State Government cast its covetious eyes on it and denounced this donation illegal. Incidentally, when the State Revenue Minister, in his talk with Vinobaji alluded to the contingent huge loss to the State treasury Vinobaji smiled and by way of rebuke had said, "Rajasthani, Karasthani" i.e. manipulating Rajasthani.

In fact the State Government, ever since 1960 when this land was vested in the Bhoodan Board under the provisions of the Bhoodan Act, has been in a dilemma. It can neither take hold

.../

www.vinoba.in

of this land nor would easily give it up. The Rajasthan Chief Minister once observed that Vinobaji's name was associated with this donation, the Government would not like tobe legalistic. But this is what it persistently is.

Thus locked in a dilemma the State Government while suspended mutation in Board's name in the relevant revenue records it allowed the Board to do temporary allotment. This restriction proved a great deterrant to the poor landless to go to Chhattargarh and settle on the land. Now the Government uses this very thing against the Board and accuses it of not alloting it speedily enough and has gone as far as even to order handing over the undistributed land to the Government under a certain provision of the Bhoodan Act itself. But the Board protested against applying aforesaid provision which was intended to be resorted to by the Board in cases where it was incapable of alloting the land. But in the case of Chhattargarh Bhoodan the alleged incapacity, if at all, has been mainly due to the restriction

www.vinoba.in

put up by the Government itself. The Government stayed action, but didn't rescind the order. After four year's lull it has struck again this year. It ordered the State Colonization to sell all undistributed lands(Chhattargarh Bhoodan) to those of the Mahajan Field Firing Range evacuees whose lands had been acquired(ofcourse, on compensation) for the Centre's defence purposes. Obviously, it means the Government decided the pending illegality issue unilaterally and treated this land as its own. While the Board's offer, to allot the land in question free of cost to those of the aforesaid evacuees as were poor landless and who in the Government's scheme of things got little or no compensation as such, was given a cold shoulder. And yet the Government unjustly alleged on the floor of the Vidhan Sabha that the Board spurned the Government's request to allot its land to the evacuees and used this grossly unjust allegation as a cover to amend the Bhoodan Act to acquire to itself the powers to take over undistributed Bhoodan lands. Thus the Government behaved like the proverbial wolf

www.vinoba.in

determined to eat the lamb. Our aforesaid offer and the fervent appeals were of no avail. The Government crossed the 'LAXMAN REKHA' which it had demurred to do well over 25 years. The Government officials began selling off the Bhoodan lands and before the Board could obtain stay from the High Court they had already sold off nearly eleven thousand Bighas of Bhoodan land to those only of the evacuees who could buy land elsewhere with the compensa-tion money. The morsel meant for the poor was thus sold out to those of the evacuees who had the compensation money to pay and the rest poor landless were left out. Some of whom were later picked up by the Board's workers and alloted land when the Court's Stay Order loosened the clutches of the Government.

When in the year of Emergency (1975) the Government had ordered Board the first time to handover to it this land, we had sought Vinobaji's intervention. Vinobaji then had denounced Government's behaviour as unmoral. So when the Government took the above step it was clear to us that the Government made no distinction between moral

www.vinoba.in

and unmoral. But the issue of legality of this donation on which the Government laid so much stress could not be allowed to be unilaterally resolved. It has to be determined by some jurist or a competent court. But the Government took altogether different course. It fabrica-ted grounds to amend the Bhoodan land so that in the event of the court's decision going against it, the Government may still take over this land with the help of the amended law. The Board however, asserts that what ever, more or less, allotment, despite impediments put up by the Government in its way, has been done by the Board in accordance with the provisions of the Bhoodan Act, fully conscious of its intent & purpose. But the Government, it seems, is not concerned with all this, for it is all set to eat the lamb any how.

I have stated herein earlier that the State Government has been all along in a fix. But the way it is trying to getover it does not accord with the professed high regard for Vinobaji and much less with his Bhoodan -Gramdan. Besides this, rather than sit freely with

www.vinoba.in

friends dedicated to common cause and discuss issues with them, our friends in the Government, lend their ears to the unfounded allegations and grossly exaggerated complaints of the biased and self centred ~~beaurocrats~~ bureaucrats and adopt unhelpful and apathetic attitudes. Nothing could be more unfortunate.

Undoubtedly, the crux of the whole problem here is money. The Government has spent and still spending colossal borrowed money to convert erstwhile worthless waste into valuable culturable land. It has no go without selling the land to reimburse the huge cost of the canal. The Government has time and again made known to us its intentions. It wanted the Board to recover the cost of the land from the allottees and deposit it in the Government treasury. But the Board countered this with the humble submission that the land in question, being a gift to Vinobaji, was meant to be distributed to the poor landless. How could the poor be expected to pay the cost ? Is is not the duty of the Government to secure to its poor people at least two bare meals a day ? If even such

www.vinoba.in

lands are to be given to the persons better off where will the poor downtrodden go ? This vicious circle must come to an end. The Government owns enough land elswhere which it is disposing off for consideration. Would it not be becoming a/Kalyankari Raj to let this land donated in Bhoodan be reserved for the poor landless ? It was this moral behaviour to which Vinobaji in his message to the then Chief Minister alluded.

It is the bounden duty of all of us who are connected with the Bhoodan movement to ensure that the Bhoodan land is given to the really deserving poor people. It has been our earnest endeavour to find the deserving ones from amongst hundreds of jostling applicants and to eschew from the job corruption and nepotism in any shape and guise. This is a real uphill task, and being the main reason of the slow pace of allotment. Considering the size and nature of this responsibility the Board would certainly heave a sigh of relief if the court were to hold this gift to be illegal. We will deem this as God's will. Happily give it up and go home. And in case the court upholds the title of the Board to the land it would, free from all the present impediments, accelerate the pace of allotment and even tighten the procedure

www.vinoba.in

Contd.. P/8.

still further. So that only the deserving get the chance of allotment. It would also take adequate steps to annual all such grants as at any stage violate the conditions of the allotment.

One may well ask why are we making all this public ? We are 'BHOODANEES'. Such a behaviour is not really becoming us. Where then is the need for this explanation ? Recently our sister, the Revenue Minister, while winding up debate on the Rajasthan Bhoodan (Amendment) Bill in the Rajasthan Assembly, made several allegations in respect of the allotment of this land by the Board. It was published by the media. Several readers expressed their surprise, anguish and even anger to us. We could not help feeling that these allegations tarnish the fair name of Bhoodan, this Board and its dedicated workers. We have, therefore, in all humility decided to submit to the bar of public opinion the tragic facts of this Chattargarh Bhoodan.

Y.D.UPADHYAYA
Chairman,
Rajasthan Bhoodan Yagya Board,
JAIPUR.

www.vinoba.in

छत्तीसगढ़ भूदान : संक्षिप्त पृष्ठभूमि व परिचय

भूदान आन्दोलन में छत्तीसगढ़ :

१९५३ में राजस्थान में बीकानेर के भू०पू० जागीरदार ने कोई डेढ़ लाख बीघा का एक ही चक में, देश का सबसे बड़ा, भूदान किया था । उस समय इस भूमि का विशेष महत्व न था। न तो दान दाता के लिये, और न ही विनोबा की ओर से दान प्राप्त करने वाले भूदान बोर्ड (उस समय भूदान समिति) के लिये । भूमि रेत के टीलों से अटी पटी थी । कुछ पशुपालकों के (अधिकांश मुसलमान) फूस व मिट्टी के झोंपड़े मात्र थे । ये भी वर्ष के अधिक समय तक ना-आबाद । इनमें वे पशुओं के साथ उसी वक्त लौटते थे कि जब वहाँ बरसात होती थी जो अक्सर सालों तक भी नहीं होती । पर इसी क्षेत्र में होकर राजस्थान नहर (इस समय इन्दिरा गांधी नहर) की योजना कागज पर थी और ज्योंही यह कागज से निकल कर भूमि पर उतरने लगी, तो इस भूमि का महत्व व मूल्य ' सबके ' लोगों को उजागर होने लगा । और आज वह जिस कदर सबकी आँखों में है,उसका प्रमाण है हाल ही में राजस्थान विधानसभा में पारित भूदान संशोधन अधिनियम ।

www.vinoba.in

१९५३ में जब यह भूदान हुआ उससमय राजस्थान भूदान एक्ट नहीं बना था । यह दान भी तत्समय जनी भूदान यज्ञ समिति को प्राप्त हुआ था । पर उस समय देश में भूदान का ऐसा माहौल था और इसके प्रणेता विनोबा का नेहरूजी की सरकार के साथ कुछ ऐसा मधुर नाता था कि खाली कागज पर प्राप्त हुई दान की भूमि भी भूदान के कार्यकर्त्ता, भूमिहीनों में बाँटते थे और वह बँट गई मानी जाती थी ।

भूदान कानून के कुछ सुसंगत प्रावधान :-

१९५४ में भूदान एक्ट पारित हुआ । इसकी धारा १६ व २२ का सरसरी तौर पर उल्लेख यहाँ छत्तीसगढ के भूदान के सन्दर्भ में आवश्यक है। धारा १६ के द्वारा राजस्थान के भू-स्वामियों (जागीरदार आदि) को भूदान के प्रयोजन के लिये, राजस्थान भूमि सुधार और जागीरों के पुनर्ग्रहण अधिनियम या तत्सम्बन्धी किसी भी कानून के होते हुये भी, भूदान बोर्ड को भूमि देने की व्यवस्था की गई है । तथा धारा २२ से वे सारे भूमिदान, तथा ऐसे भूमिदानों से किये गये वितरण को, कि जो १९५४ के उक्त एक्ट के पारित होने के पूर्व किये गये हों, विधिमान्य किये गये है ।

प्रारम्भिक आवंटन :

इस दान के प्राप्त होने के कोई ७ वर्ष बाद उक्त

www.vinoba.in

अधिनियम के अधीन ही दान पत्र की भूमि, कानून के प्रावधानों के अधीन की गई कार्रवायी के बाद, तहसीलदार के आर्डर से दिनांक १०-४-६१ को भूदान बोर्ड में वेस्ट हुई । तब तक इन्दिरागांधी नहर (उस समय राजस्थान नहर) की खुदाई उस क्षेत्र तक पहुँच चुकी थी । पर सारी हलचल नहरों पर लगे मजदूरों की ही थी । इत्तराढ की भूमि की ग्राहकी सन् १९७४ तक प्राय: नगण्य ही रही । यहाँ भूमि प्राप्त करने वाले लोग कुछ बरसात हो जाने पर ' आडे कांकड ' मोठ-बाजरा ही छिडकते थे और जो कुछ पाते, उसी को जोतते और पशु चराते थे । अत: प्राथमिक बरसों में झुला-झुलाकर यह भूमि लोगों के गले बांधी जाती थी और उनको किए गये आवंटन की सूचि राजस्व तहसीलदारों को दी जाती थी । चार आना जीवा लगान का मतलब कृषक के नाम लगता था । इस प्रकार मुश्किल से इस बडे भूदान में बरस के बरस २-४ हजार बीघा भूमि का नया-पुराना अलोटमेन्ट होता था ।

इत्तराढ-भूदान कानून सम्मत पर, सरकार के विचाराधीन

१०-४-६१ को भूदान बोर्ड में वेस्ट की हुई इत्तराढ की भूमि को राजस्व रेकार्ड में बोर्ड के नाम लिखे जाने के प्रश्न पर २१-५-६३ का उपनिवेशन आयुक्त का एक पत्र का निम्न

www.vinoba.in

आदेश मिला -

" यह मामला विचाराधीन है - अन्तिम
निर्णय होने पर सूचित कर दिया जायेगा " ।

इस एक पंक्ति के आदेश में प्रयुक्त एक शब्द " विचाराधीन " २४ मई १९८० तक कई बार प्रयुक्त होकर इस प्रश्न को लटकाये रखने की हमको याद दिलाता रहा । इस परिस्थिति ने एक तरफ बोर्ड और दूसरी तरफ गरीब आदिवासियों को अंगूली पर उठाये रखा ।

उपायुक्त उपनिवेश (२२-६-६३) के पत्रानुसार:-

- छत्तरगढ़ भूदान की कार्रवाई अवैधानिक,
- भूदान एक्ट के तहत कार्रवाई नामुनासिब,
- रेवेन्यू रेकार्ड में भूदान बोर्ड के नाम यह रकबा केवल राज्यादेश पर ही दर्ज करना सम्भव होगा।

उपशासन सचिव (२५-१०-६३) के पत्रानुसार:-

- भूमि का हस्तान्तरण विवादग्रस्त,
- बोर्ड स्थायी आवंटन न करे,

उपनिवेश आयुक्त (१७-७-६४) के पत्रानुसार:-

- छत्तरगढ़ की भूमि को भूदान बोर्ड, टी.सी. पर ही आवंटन करेगा ।
- दान अवैधानिक - सरकार के विचाराधीन,

www.vinoba.in

अगले दस वर्ष - इस प्रकार 'विचाराधीन' के दलदल में हम फंसे रहे । और मजबूरन उक्त आदेशानुसार वर्ष के वर्ष टी.सी. पर आवंटन होता रहा ।

इमरजेन्सी काल के आदेश -

राजस्व मंत्री के (१६-१-७४) के पत्रानुसार:-

- यह दान विधि सम्मत नहीं,
- भूदान में रहे तो भी आवंटित (काश्तकार) को भूमि की कीमत देनी होगी ।

तदुपरान्त उपशासन सचिव का पत्र (१४-७-७५):-

- बोर्ड, आगे भूमि आवंटन न करे,

बाबा से पुकार: यह सम्पूर्ण प्रकरण जब बाबा के ध्यान में लाया गया तो बाबा को यह 'राजस्थान सरकार का 'अनैतिक व्यवहार' लगा । इस पर स्व० श्रीमन्जी ने मध्यस्थता की । अन्तत: शासन सचिव का पत्र (१६-५-७६) प्राप्त हुआ । पूर्ववत् १ वर्ष के लिये आवंटन करने की स्वीकृति मिली पर राजस्व मंत्री ने साथ ही यह भी कहा कि 'अगले वर्ष क्या नीति रहेगी, यह राज्य सरकार के 'विचाराधीन' है ।'

फिर उक्त स्वीकृति १ वर्ष के लिये दी जाने लगी । इमरजेन्सी का धब्बा झेलने में बोर्ड सफल हुआ । और, इमरजेन्सी भी समाप्त हुई ।

www.vinoba.in

जनता पार्टी शासन : समझौते की प्रक्रिया :

पर हम निश्चिंत नहीं हो सके । नयी सरकार का दरवाजा खटखटाया कि वह इस अनिश्चितता को समाप्त करे इसमें आर्वीटात को टिने-सी की सुरक्षा नहीं । इस सुरक्षा के बिना आर्वटन करना दुस्सह कठिन । जिनको हम ढूँढ-ढूँढ कर यहाँ बिठाते हैं, वे भी इस स्थिति में बैठ-बैठ कर उठ जाते हैं । टिक नहीं पाते ।

जनता सरकार ने ध्यान दिया । तत्कालीन राजस्व मन्त्री के साथ बैठक भी हुई । एक समझौते का प्रारूप तैयार हुआ । इसके मुख्य बिन्दु :-

:१: बोर्ड के नाम भूमि की जायेगी ।

:२: आर्वीटत भूमि की, सरकार व बोर्ड, संयुक्त रूप से जाँच करेंगे ।

:३: अनार्वीटत भूमि अन्त्योदयी परिवारों में बँटेगी ।

:४: सिंचित भूमि बोर्ड द्वारा दो वर्ष में बाँट दी जायेगी ।

शासन में परिवर्तन काल : विवाद जहाँ का तहाँ

बोर्ड के प्रतिवेदन पर २४ मई ८० को उपशासन सचिव का संदेश :-

www.vinoba.in

' नीति निर्धारण का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है - जिस पर अन्तिम निर्णय चुनाव के बाद निर्वाचित सरकार करेगी। '

नई सरकार : नये आरोप

नव निर्वाचित सरकार के द्वार पर बोर्ड की फिर दस्तक लगी। परिणाम में ६ मई १९८२ का शासन सचिव का पत्र, यह आरोप लगाते हुये कि - बोर्ड भूमि नहीं बाँट सका - इसलिये भूदान कानून की धारा २७ के अधीन अनावंटित भूमि सरकार को हस्तान्तरण करे।

इस प्रकार १७ वर्ष तक दान को गैर कानूनी, विचाराधीन बना रक्खा। राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज रोके रखना, इसको अस्थाई (वर्ष - वर्ष के लिये) बँटवाने और आवंटितियों को टी सी पर दिखाते रहने के बावजूद बोर्ड पर भूमि को न बाँट सकने का आरोप लगाया।

अतः भूमि न बाँट सकने के आरोप का बोर्ड ने विरोध किया।

सरकार का अभिप्राय उद्धाटित

उक्त विरोध के फलस्वरूप एक बार फिर राजस्व सचिव के साथ बातचीत का दौर शुरू हुआ।

www.vinoba.in

चर्चा का उपसंहार उप शासन सचिव के ६ दिसम्बर ८२ के पत्र से हुआ ।

उक्त पत्र के आरोप - बोर्ड ने बहुत कम भूमि बाँटी,
- आवंटन ठीक नहीं किया गया ।

इसी पत्र में बोर्ड की सहमति के लिये नयी शर्तें भी रखी गई :-

- आवंटन की जाँच राज्य सरकार के आवंटन नियमों के अनुसार की जायेगी,
- उक्त नियमों के अधीन बोर्ड आवंटिति से भूमि का मूल्य लेगा और सरकार में जमा करायेगा,
- जो गलत आवंटन होंगे वे निरस्त किये जायेंगे ।

बोर्ड का उत्तर - प्रतिवादित (दिसम्बर १९८२)

:१: भूदान की भूमि का आवंटन राज्य के आवंटन नियमों पर नहीं, भूदान के नियमों से ही होगा,

:२: आवंटन की जाँच का प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

:३: भूदान की भूमि गरीब भूमिहीनों को दी गई है । कीमत नहीं ली जायेगी, क्योंकि इसी विश्वास पर उन्होंने भूमि ली है । गरीब दूर-दूर से अपने घर-बार छोड़ यहाँ आकर बैठे हैं । उनके साथ विश्वासघात नहीं किया जा सकता ।

फिर दो वर्ष गुजरे । मूल प्रश्न यथावत् अनिर्णीत ।

www.vinoba.in

रहा । इस बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री की छत्तीसगढ़ की आमसभा में घोषणा हुई:-

"भूदान का मसला बोर्ड के साथ बैठकर जल्दी ही निपटाया जायेगा ।"

इधर सरकार द्वारा मण्डी समिति को भाला बाला भूदान भूमि दिये जाने की सूचना पर बोर्ड का कड़ा विरोध ।

राजस्व सचिव को आवंटन के टी. सी. लिखे जाने पर आवंटितियों के भूमि लेने व जमने में भारी कठिनाई पर बोर्ड के पत्र ।

महाजन फील्ड फायरिंग रेन्ज, भूमिवान, विस्थापितों को भूदान भूमि: राज्य का इमरजेन्सी आदेश

उपनिवेश आयुक्त आदि अधिकारियों को ६ सितम्बर ८२ के मंत्री मण्डल के निर्णय की अनुपालना करने का ३ मार्च १९८६ का नया आदेश दिया गया । प्रतिलिपि बोर्ड को भी दी गई । तदनुसार:-

(१) भूदान बोर्ड की अनावंटित भूमि का कब्जा तुरंत ले लिया जावे,

(२) अनावंटित भूमि में से फील्ड फायरिंग रेन्ज के विस्थापितों को, राज्य की शर्तों पर, कीमत लेकर भूमि आवंटित करदी जावे।

www.vinoba.in

(३) फायरिंग रेन्ज के विस्थापितों को आवंटन के पश्चात शेष रही भूमि प्रचलित बाजार दर से दिये जाने का ध्यान दिया जावे ।

स्पष्टीकरण :- केन्द्र सरकार ने फील्ड फायरिंग रेन्ज के लिये जो भूमि पसन्द की वह भूमि छत्तीसगढ़ की भूदान भूमि से लगी हुई है । उक्त फायरिंग रेन्ज के लिये खाली हुये ३४ गाँव के विस्थापितों को भूमि का मुआवजा दिया गया और भूमि चाहने वालों को उनकी अवाप्त भूमि के बराबर, मूल्य लेकर राज्य सरकार द्वारा अन्यत्र भूमि दी जाने की योजना बनी । राज्य सरकार को अच्छा अवसर मिला । फायरिंग रेन्ज से लगी भूदान भूमि को विस्थापितों में से 'भूमिवानों' को कीमत लेकर देना प्रारम्भ कर दिया ।

आदेश से स्तब्ध व क्षुब्ध :

उक्त आदेश से हम स्तब्ध रह गये । क्योंकि उक्त आदेश जारी किये जाने के भी पूर्व, फील्ड फायरिंग रेन्ज के इन्हीं विस्थापितों में से जिनके पास कोई भूमि नहीं थी या कम भूमि थी, उनको भूदान से निर्मूल्य भूमि दिये जाने का लिखित ऑफर बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा पहिले ही जिला कलेक्टर फिर राजस्व मंत्रीजी तथा मुख्यमंत्रीजी को किया जा चुका था पर इस ऑफर की उपेक्षा की गई और भूदान की भूमि में से कोई ११ हजार बीघा भूमि भूमिवान विस्थापितों को खड़े-खड़े

www.vinoba.in

बिक्री कर डाली । सरकार तो केवल भूमिवान विस्थापितों को ही भूमि देने को आतुर थी, जबकि बोर्ड ने अपनी यह भूमि उनमें से गरीब भूमिहीनों को देने की तत्परता दिखाई थी ।

मुख्यमंत्रीजी राजस्थान हाईकोर्ट अपील : विवश बोर्ड न्यायालय शरणागत्

इसके बाद मुख्यमंत्री जी को उक्त आदेश के विरुद्ध अपील करना मात्र बच रहा और जब उन्होंने भी हमारी अपीलों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो इस स्थिति में (जो बहुत पूर्व इस बारे में बाबा का निर्देश हमने प्राप्त किया था उसके अनुसार) अन्ततः न्यायालय में जाना ही शेष रह गया ।

और अत्यन्त विवश हम इसको लेकर न्यायालय में गये हुये हैं ।

....

www.vinoba.in

भूदान बोर्ड पर राजस्थान सरकार के आरोप, क्यों ?

(एक वास्तविकता)

हम आगे इस विवरण में राजस्थान राजस्व मन्त्री जी द्वारा इस बोर्ड पर लगाये आरोपों को ले रहे हैं। ये आरोप उन्होंने राजस्थान विधान सभा में ११ दिसम्बर को भूदान संशोधन विधेयक पर बहस का उत्तर देते हुये बोर्ड पर लगाये थे।

जाहिर है कि ऐसे आरोप लगाये बिना भूदान कानून में ऐसे संशोधन करने का कोई आधार या औचित्य नहीं हो पाता। और दूसरा कारण यह भी है कि इस भूमि पर चल रहे अदालती मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय अपने निर्णय में यदि भूदान बोर्ड के दावे को मान भी लेता है तो भी इन संशोधनों के माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तरांचल के भूदान की बोर्ड द्वारा व्यवस्था में, अपना मनचाहा हस्तक्षेप करने का मार्ग निकाल लिया है। वह मार्ग अब तक उसके लिये बन्द प्रायः था। इसी वजह से भूदान कानून में संशोधन करना सरकार के लिये जरूरी हो गया और संशोधन करने के लिये बोर्ड पर आरोप लगाना भी।

इसी तथ्य को आगे खुलासा किया जा रहा है।

(आगे पढ़िये)

www.vinoba.in

महाजन फील्ड फायरिंग रेन्ज में भूमिहीन विस्थापितों को

बोर्ड द्वारा भूमि देने का ऑफर बनाम भूमिवान

विस्थापितों को भूदान भूमि देने का सरकार का आग्रह

राजस्थान विधानसभा में भूदान संशोधन विधेयक १९८७ पारित हुआ। इसकी संक्षिप्त रिपोर्ट 'पत्रिका' के १२ नवम्बर के अंक में छपी है। यह तत्क्षत: सही है। इस रिपोर्ट का एक अंश नीचे उद्धृत किया जा रहा है :-

> 'राजस्व मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के आग्रह के बावजूद भूदान बोर्ड ने महाजन फील्ड फायरिंग रेन्ज के विस्थापितों को जमीन आवंटित नहीं की। जब भूदान बोर्ड राष्ट्र की सुरक्षा के लिये त्याग करने वालों को भी जमीन आवंटित नहीं करे तो राज्य सरकार के सामने इसके अलावा कोई चारा नहीं कि वह बोर्ड से यह जमीन ले ले जो बोर्ड इतने बरसों बाद भी आवंटित नहीं कर रहा।'

सरकार के आग्रह को बोर्ड ने नहीं माना - यह सत्य है। पर बोर्ड के अध्यक्ष ने इसी निमित्त ऑफर किया, इसका उल्लेख सरकार न करे तो सरकार का कहा सत्य नहीं

www.vinoba.in

कहा जा सकता । वह अर्द्धसत्य ही कहा जायेगा । और अर्द्ध-
असत्य
सत्य से भी अधिक क्रूर व अन्यायपूर्ण हो सकता है । यह
नीचे दिये विवरण से बहुत साफ हो जायेगा ।

- कलेक्टर बीकानेर ने बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र ५ दिसम्बर १९८६ को दिया । इसमें एक महत्वपूर्ण वाक्य है :-

' ३४ गावों (महाजन फील्ड फायरिंग रेन्ज) के अनुसूचित जाति तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों को अपनी (बोर्ड की) शेष भूमि आवंटित करदी जाये । '

बोर्ड के अध्यक्ष ने अपने सहयोगियों के साथ ९ दिसम्बर को कलेक्टर बीकानेर से भेंट की । खुलासा बातचीत हुई । कार्यक्रम निश्चित किया गया तथा इस चर्चा के हवाले से ११ दिसम्बर को बोर्ड के अध्यक्ष ने कलेक्टर को लिखा कि -

(१) भूदान की भूमि उन्हीं को दी जावेगी कि जो मुआवजा लेकर (फायरिंग रेन्ज में अपनी भूमि के बदले) भूमिहीन नहीं हुये, पर पहिलेसे ही भूमिहीन थे ।

www.vinoba.in

(२) सन्देश मिलते ही बोर्ड के अधिकारी को उनके (कलेक्टर) हवाले कर दिया जायगा कि जो हाथोंहाथ भूमि का अधिकार पत्र देगा।

(३) और पत्र के अन्त में यह वाक्य:-

'यह कार्य भूदान की मूल भावना के अनुरूप है। हम इसी काम के लिये समर्पित है। विश्वास दिलाता हूँ कि हम प्राणपन से अपने कर्त्तव्य का पालन करेंगे'

२८ जनवरी ८६ को बोर्ड के अध्यक्ष का कलेक्टर को फिर स्मरण-पत्र। कलेक्टर ने उक्त पत्र की प्राप्ति देते हुये एक बार फिर बोर्ड के अध्यक्ष को अपने ३ फरवरी के पत्र में लिखा:-

'जिन व्यक्तियों की जितनी भूमि अवाप्त की जा रही है उतनी भूमि के लिये वे अन्यत्र हकदार हैं, परन्तु जिन लोगों के पास भूमि नहीं वे आगे भी कृषि भूमि पाने के हकदार नहीं है।

कलक्टर के पत्रों से जाहिर है कि उन्होंने यह महसूस किया कि जिन लोगों के पास (रेन्ज में आने वाले गावों में)

www.vinoba.in

भूमि नहीं है वे आगे भी कृषि भूमि के हकदार नहीं रहेंगे। अत: उन गरीब भूमिहीनों को भूदान की भूमि दी जानी चाहिये। और यही हमारा ऑफर था कि जो वहाँ पहिले से ही भूमिहीन थे - जिनको न तो मुआवजा मिला होगा और न अन्यत्र भूमि पाने के हकदार - उन्हें बोर्ड भूमि देने को तैयार है। वस्तुत: भूदान की योजना भी ऐसे ही लोगों के लिये है।

कोई उत्तर नहीं मिलने पर बोर्ड के अध्यक्ष ने कलेक्टर को फिर ६ फरवरी १९८६ को पत्र देते हुये लिखा कि:-

> इस ढिलाई का मेरे मन पर यह असर है कि शायद स्थिति में कुछ परिवर्तन आ गया है जिससे कि आपका उत्साह क्षीण हो गया है

तथा

> यदि प्रशासन उन गरीबों को भूमि दिलाने में रुचि रखता है कि जिनके पास वहाँ भूमि नहीं थी, पर जिनको भूमि का सहारा कहीं मिले तो बोर्ड का अधिकारी सीधे वहाँ स्थित अधिकारी से मिले।

स्वयं कलेक्टर ने ही दरवाजा खोलकर हमको विश्वास में लिया था। देखा जाये तो कलेक्टर का प्रस्ताव भी वही था

www.vinoba.in

कि जो बोर्ड ने ऑफर किया था । अपनी ऑफर को हमने बार बार स्पष्ट किया पर बाद में कलक्टर स्वयं ने ही आगे होकर दरवाजा बन्द कर दिया ।

३ मार्च १९८७ के जिस राजकीय आदेश के अधीन भूमि राज्य सरकार को सौंपने की सूचना जारी हुई, उसके बाद भी राज्य के मुख्यमन्त्री व राजस्व मन्त्री को फील्ड फायरिंग रेन्ज के अत्यन्त गरीब तबके के लोगों को भूमि दिये जाने का बार बार लिखित व मौखिक ऑफर बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दुहराया जाता रहा ।

इस सबके बाद भी यदि राजस्व मंत्री विधानसभा में अपने भाषण में यह कहती हैं कि बोर्ड ने विस्थापितों को भूदान की भूमि देने के आग्रह की उपेक्षा की तो यह निश्चित ही भयंकर अर्द्धसत्य है कि जिसको उद्घोषित कर राजस्व मंत्री ने भूदान, भूदान बोर्ड और इनके लिये समर्पित सेवकों को लोगों की नजरों में गिराने का उपक्रम किया है ।

www.vinoba.in

बोर्ड द्वारा आवंटन में भ्रष्टाचार

राजस्व मंत्री जी ने राजस्थान विधान सभा में भूदान संशोधन विधेयक १९८७ पर अपने भाषण के दौरान बोर्ड के आवंटन पर भी कुछ आक्षेप किये है । उन आक्षेपों के निहितार्थों को हम समझते हैं । अत: यह आवश्यक है कि उनका खुलकर उत्तर दें ।

भूदान बोर्ड छत्तीसगढ के भूदान को क्यों नहीं जल्दी बांट सका या बांट सकता है, इस सन्दर्भ में हमने उल्लेख किया है कि भूदान यज्ञना के अधीन छत्तीसगढ की भूमि का आवंटन अपने आप में ही एक बडी चुनौती है । जहां एक मुरब्बा भूमि (ब्रम्हाण्ड) का सरकारी मूल्य ५० हजार रुपया हो और वह आवंटिति को बिना मूल्य मिलने वाली हो वहां कौन ऐसा होगा कि जो इसको प्राप्त करने के लिये भूमिहीनता और छत्तीसगढ या बीकानेर जिले का वाशिन्दा होने का प्रमाण-पत्र हासिल कर अपनी झोली नहीं फैलायेगा ? हमने यह भी कहा कि सैकडों ऐसा करते है और कुछ चन्द ही उनमें से सत्पात्र निकलते है । अत: जिनको आवंटन अस्वीकार किया जाता है, वे खीजते हैं, झींकते हैं और झूंठे आरोप गढकर अखबारबाजी और गाली गलौच से अपनी वेकशी निकालते है । इस 'पवित्र' काम में उनका हाथ भी खासकर होता है कि जो अपना भ्रष्ट मुंह इसमें नहीं डाल पा सकने से

www.vinoba.in

तिलमिलाते रहते है और चाहे कितना ही सचाई ईमानदारी से इस काम में लगे हो उन लोगों पर कीचड़ उछालते नहीं थकते । कई ' बडे ' लोग भी खुली सभाओं में इस आवंटन के गलत होने की और संकेत करने से नहीं चूकते और कह देते हैं कि वे इस सबको देख लेंगे । तो आज के माहोल में इस सबका क्या असर, जन मानस पर पडता है यह सभी समझ सकते हैं । वैसे हम यह सब सुनने के आदी हैं । हमको यह विष-पान करना ही होता है । पर आज तक क्या एक भी आरोप ऐसे लोगों के कंठ से निकल या कलम से उतर कर पक्की घरती पर चलता पाया गया ? जिस आवंटन में एक मुरब्बा भूमि (२५ बीघा) मुफ्त मिले, वहां लेशमात्र भ्रष्टाचार नहीं, हमारा यह मूक दावा आज के युग में लोगों के मानने में सहज नहीं आयेगा यह हम जानते हैं । ऐसे मामले में तो भ्रष्टाचार की कल्पना उत्ताल तरंगी मानसों को ' फ्री ' होती है । इसकी तो हमको चिन्ता नहीं । पर आज जो दुस्सह चिन्ता हमको शूलती है वह यह है कि भूदान कानून में हाल में किये संशोधनों में, आवंटित भूमि की ' विशेष अधिकारी द्वारा ' जांच किये जाने की व्यवस्था की गई है। यह जानते हुए भी कि ऐसी जांच कैसे अधिकारी करेंगे, हम इसका स्वागत करते हैं। हमारा काम तो खुली पुस्तक

www.vinoba.in

है । हम हमारे काम के बारे में एकदम निःशंक है । पर इस निरापद से लगते तिनके में जो शूल है उससे आवेंटिति आतंकित रहेंगे इसमें भी कोई सन्देह नहीं । इनसे बचने को भ्रष्टाचारियों को सन्तुष्ट करना होगा । गरीब आवेंटितियों को वह शूल चैन नहीं लेने देगा । कमा खाने नहीं देगा । और हम निस्सहाय यह देखेंगे । इनको यहाँ बिठाने के गुनहगार होंगे - कैसी विडम्बना होगी यह ?

www.vinoba.in

छत्तरगढ भूदान आवंटन की धीमी गति :

राजस्थान भूदान संशोधन १९८७ पर बहस का उत्तर देते हुये राजस्व मंत्री ने विधानसभा में भूदान बोर्ड पर यह खुला आरोप लगाया है कि बोर्ड छत्तरगढ की भूमि को १९६१ से ही लिये बैठा है । सरकार के तकाजों के बावजूद, तत्परता से बांट नहीं रहा (बांटने में अक्षम साबित हुआ है ।

पर किसी भी प्रयोजन से लगाये गये सरकार के उक्त आरोप का हमारा उत्तर यह है कि छत्तरगढ-भूदान की विशिष्ट स्थिति में इसके आवंटन की यही सही व सम्भव गति है ।

छत्तरगढ भूदान-भूमि की यह विशिष्ट स्थिति क्या है ?

- इस भूमि के दान की वैधानिकता पर सरकार की आपत्ति है ।
- इस भूमि की राजस्व रेकार्ड में बोर्ड के नाम इन्द्राज किये जाने पर पाबन्दी है ।
- आवंटन अस्थायी करने की सरकार की 'सलाह' है।

www.vinoba.in

- सरकारी रेकार्ड में आर्वीटिति को टी सी लिखा जाता है ।

पर क्योंकि इस दान की वैधानिकता के बारे में हम निःशंक बने रहे और सरकार में हमारी यह आस्था भी अक्षुण्य बनी रही कि देर-सवेर न्याय-नैतिकता के पक्ष का वह परित्याग नहीं करेगी अतः इन पाबन्दियों के बावजूद हम वहां खडे रहे ।

पर अलोटी खडे किस पर रहें ? जमीन कच्ची हो, आर्वीटिति टी सी लिखा जाये, जमीन में झगडा हो और वह भी सरकार से ? इसलिये वह दौडकर इस भूमि पर आता भी तो कैसे ? और आकर भी सहज इसीलिये बैठता नहीं । और बैठता है तो भी उसको यह डर बराबर बना रहता है कि न जाने कल क्या हो ? यह भूमि का भूखा जरूर है । भूमि कहीं मिले तो अपना पीढियों का वास भी छोड सकता है। पर उस पर भय छाया रहता है कि कहीं छत्तीसगढ की भूमि मृग-मारीचिका साबित न हो जाये। आज उसको बुलाकर बिठाया गया है, कल जिस पूंछ पकड कर बाहर कर दिया जावे तो ? आज तो भूमि जिस मूल्य दी जा रही है, कल भारी कीमत मांगी जाये तो ? यह है वह विशिष्ट स्थिति इस भूमि की ।

www.vinoba.in

इसके अलावा जिस प्रकार के व्यक्ति को भूदान योजना के अधीन भूदान भूमि प्राप्त करने के लिये सत्पात्र माना जाता है वह भी सामान्य भूमिहीन नहीं होता, यह भी विशिष्ट ही होता है ।

छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की विशिष्ट स्थिति -

भूदान की यह भूमि भूमिहीन के लिये है । और भूमिहीन की कानूनी परिभाषा चाहे कुछ भी हो - वह कानून की पुस्तक में ही लिखी रहने की है । वास्तव में जिसको पटवारी भूमिहीन लिख देता है वही प्रमाणिक भूमिहीन माना जाता है । पर ऐसे 'प्रमाणिक' भूमिहीन, भूदान पाने के सत्पात्र नहीं होते । पर वे कि जो हकीकत में भूमिहीन हैं उनको तो भूमिहीनता का प्रमाण-पत्र भी सरलता से नहीं मिलता । वे दौड कर आगे आते नहीं । उनको तो सैकडों में से ढूँढ कर निकालना होता है; सहारा देकर खडा करना होता है । यह विश्वास दिला कर भूमि पर बिठाना होता है कि - 'भूदान की भूमि उन जैसे गरीबों के लिये ही है और वह उनको बिना कीमत दी जा रही है ।'

www.vinoba.in

इस भूमि और भूमिहीन दोनों ही की इस विशेष परिस्थिति का यदि सही अध्ययन - आकलन किया जाये तो यह स्वत: ही समझ में आ जायेगा कि छत्तरगढ़ के भूदान को क्यों नहीं इतने बरसों में बोर्ड ने बाँट-चूँट दिया ?

फिर अप्रासंगिक न होगा यह बताना भी कि क्या कभी सरकार अपनी भूमि का अलॉटमेन्ट कर यह भी देखने का प्रयत्न करती है कि उसकी आवंटित भूमि पर कितने आवंटिती टिके हुए हैं ? कितनी भूमि सिंचित हुई बमुकाबले छत्तरगढ़ के भूदान के ? यह जानकारी भी उपलब्ध है ।

www.vinoba.in

परिशिष्ट-।

राजस्थान भूदान यज्ञ अधिनियम संख्या 16/1954 में दिनांक 11.11.87 को विधान सभा में पारित संशोधन

§मूल धारा§26. भूदान यज्ञ स्कीम के अनुसार अनुदान किया जाना:

§1§ समस्त अनुदान, जहां तक हो सके भूदान यज्ञ स्कीम के अनुसार किये जायेंगे :

परन्तु यदि बोर्ड, उसमें निहित किसी भूमि का आवंटन करने या ऐसी भूमि का किसी सामुदायिक प्रयोजन के लिये उपभोग करने में असमर्थ हो तो उसे उस भूमि का अन्य उपयुक्त भूमि से विनिमय करने या इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार वितरित किये जाने के लिये दूसरी भूमि खरीदने के लिये उसे बेचने की शक्ति होगी।

§संशोधन अधिनियम से जोडी गई धारा§:-

§2§ जहां कोई ऐसा प्रश्न उठे कि आया भूमि का कोई भी अनुदान या आवंटन इस अधिनियम के उपबन्धों के या भूदान यज्ञ स्कीम के उल्लंघन में किया गया है वहां राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा उसकी जांच की जा सकेगी और ऐसी जांच के पश्चात यह निष्कर्ष निकाले जाने पर कि ऐसा उल्लंघन किया गया है, उस अनुदान या आवंटन को रद्द किया जा सकेगा और वह भूमि राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को अन्तरित की जा सकेगी ।

क्रमश: ....40.

www.vinoba.in

(मूल धारा) 27. अक्तरित भूमि का चयन:

(1) यदि बोर्ड किसी संदान की हुई भूमि का स्कीम के अनुसार वितरण नहीं कर सकता है तो वह ऐसी भूमि को राज्य सरकार को अन्तरित कर देगा।

(संशोधन अधिनियम से जोडी गई धारा):-

(2) यदि बोर्ड समुचित समय के भीतर किसी संदान की हुई भूमि को वितरित करने में विफल रहा है तो राज्य सरकार ऐसी जांच के पश्चात, जो कि उचित समझी जावे, ऐसी भूमि राज्य सरकार को अन्तरित करने का आदेश कर सकेगी ।

(मूल धारा) 32. नियम बनाने की शक्ति: इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से भूदान यज्ञ बोर्ड नियम बना सकेगा ।

(संशोधन से परिवर्तित धारा):-

32. नियम बनाने की शक्ति: इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से भूदान यज्ञ बोर्ड या बोर्ड के परामर्श से राज्य सरकार नियम बना सकेगी ।

www.vinoba.in

परिशिष्ट-2 छत्तरगढ भूदान का प्राप्ति-आवंटन लेखा §सम्वत् 2044 तक§

किस्म भूमि	प्राप्ति	आवंटन	शेष
कमाण्ड	29,288	17,215·13	12,072·07
अनकमाण्ड	58,613	14,019·10	44,593·10
बारानी	54,492	8,162·07	46,329·13
कुल:	1,42,393	39,047·10	1,02,995·10

परिशिष्ट-3 छत्तरगढ भूदान के आवंटितियों का वर्गीकरण

वर्ग	मूलवासी (छत्तरगढ)	प्रवासी	बीकानेर जिले के	कुल
सवर्ण	74	44	297	415
अल्पसंख्यक	446	16	42	504
अनुसूचित जाति	87	122	230	439
कुल:	607	182	569	1358

स्पष्टीकरण: मूलवासी: भूदान से पूर्व से ही इस क्षेत्र के वाशिन्दा

प्रवासी: ऐसे लोग कि जो भूमि आवंटन की तारीख से कम से कम 10 वर्ष से छत्तरगढ के प्रमाणित वासी

परिशिष्ट-4 छत्तरगढ भूदान का प्रयोजनवार आवंटन

प्रयोजन	कमाण्ड भूमि	अनकमाण्ड भूमि	बारानी	योग
कृषि	16,193·08	5,006·05	4,457·07	25,657·00
आबादी	450·00	50·00	–	500·00
सार्वजनिक सेवा:	572·05	8,963·05	3,705·00	13,240·10
बछडी पालन, डेयरी, वन -विकास, होमगार्डादि				
सार्वजनिक सुविधा: अनुमानित नहर, सडक, नर्सरी, नाले-खाले आदि				9,000·00 किस्म भूमि अभी सर्वे होना है
कुल:	17,215·13	14,019·10	8,162·07	48,397·10

www.vinoba.in

परिशिष्ट-5

राज्य सरकार द्वारा भूदान की भूमि की बिक्री

महाजन फील्ड फायरिंग रेन्ज में आने वाले कोई 34 गांवों की भूमि सरकार ने अवाप्त की । अवाप्त भूमि की सरकार ने कीमत दी और यह तय रहा कि विस्थापित चाहें तो, जितनी भूमि अवाप्त हुई उसके बराबर अन्यत्र भूमि, राज्य सरकार, बाजार रेट से कीमत लेकर उसको सुलभ करावे ।

छत्तरगढ की भूदान भूमि उल्लेखित रेन्ज की भूमि से लगी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसारि सरकार ने उक्त 29। विस्थापितों को भूदान बोर्ड की भूमि, निम्न विवरण के अनुसार, बिक्री कर, करीब 66,09,722·50 पैसा जमा कर लिया :-

विवरण

भूमि की किस्म	बेची गई भूमि (बीघा में)	दर	राशि वसूली गई (सरकार द्वारा)
कमाण्ड	1,653·06	2000/=	33,06,600·00
अनकमाण्ड	1,052·01	550/=	5,78,627·50
बारानी	9,031·13	300/=	27,24,495·00
कुल:			66,09,722·50

www.vinoba.in